

वाणिज्य / जोधपुर डिस्कॉम -94
जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर
(वाणिज्य विभाग)

क्र./अ.प्र.नि./जोधपुर डिस्कॉम/ अनु.वाणिज्य/ प्र./पत्रा/प्रे.सं./1903 दिनांक 17-1-2002

आदेश

विषय :- कृषि कनेक्शन के बढ़े हुए भार की स्वैच्छिक घोषणा दिनांक 28 फरवरी 2002 तक।

निगम द्वारा जनहिम में कृषि के उपभोक्ताओं द्वारा बढ़े हुए लोड की 31 दिसम्बर 2001 तक स्वैच्छिक घोषणा करने पर जोधपुर डिस्कॉम द्वारा आदेश संख्या क्रमांक.जोधपुर डिस्कॉम /अनु. पी. पी. एण्ड एम. /फाईल सामान्य शाखा/प्रे. 75 दिनांक 12.03.2001 (आई.ई.ओ. 01) एवं आदेश संख्या 27 दिनांक 13.04.2001 (आर.ई.ओ. 02) एवं आदेश संख्या 1239 दिनांक 05.11.2001 (आर.ई.ओ. 07) एवं आदेश संख्या 1521 दिनांक 12.12.2001 (आर.ई.ओ. 09) के द्वारा दिनांक 31.12.2001 तक कई रियायतें दी गई थी इससे उपभोक्ताओं को काफी राहत मिली है। कृषि उपभोक्ताओं की मांग को ध्यान में रखते हुए इस बारे में निर्णय लिया गया है कि इस योजना को 28 फरवरी 2002 तक बढ़ा दिया जावे।


अतः बढ़े हुए भार की स्वैच्छिक घोषणा का समय 28 फरवरी 2002 तक बढ़ाया जाता है। आदेश संख्या 75 दिनांक 12.03.2001 (आर.ई.ओ. 01) में दिये गये लोड चार्ज व अन्य शर्तें यथावत रहेगी।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य)
जो. वि. वि. नि. लि. ,जोधपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. सचिव, उर्जा विभाग, जयपुर।
2. सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (परि. एवं सघां - जोधपुर जोन / बीकानेर जोन), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर / बीकानेर।
3. मुख्य लेखाधिकारी / वित्तीय सलाहकार, जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर।
4. उपमुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर।
5. अधीक्षण अभियन्ता (नगर / जिला / परि एवं सघां / पी.पी. एण्ड एम / पदार्थ प्रबन्ध / एम एण्ड पी / बी एफ एल) जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर / पाली / बीकानेर / बाड़मेर / जैसलमेर / चुरु / श्रीगंगानगर / हनुमानगढ़ को प्रेषित कर लेख है कि वे अपने अधीनस्थ कार्यरत समस्त अधिशाषी / सहायक अभियन्ताओं तथा सहायक राजस्व अधिकारियों को उपरोक्त आदेश कि प्रतिलिपि अपने स्तर पर प्रेषित करावे।
6. उपमुख्य अभियन्ता (उर्जा), रीको जयपुर।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी (परि. एवं सघां. / एम. एम. / अकंक्षण) जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर / बीकानेर।
8. निजी सचिव, माननीय उर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
9. उप अधीक्षक पुलिस (सतर्कता) जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर।
10. कम्पनी सचिव / उपनिदेशक (पी.) जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर।
11. अधिशाषी अभियन्ता (विधि / एम. आई. एस.) जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर।
12. तकनीकी सहायक, माननीय अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक जोधपुर डिस्कॉम / अजमेर डिस्कॉम / जयपुर डिस्कॉम, जोधपुर / अजमेर / जयपुर को माननीय अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक क अवलोकनार्थ।
13. लेखाधिकारी (वाणिज्य), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
14. जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर।



(एन.एम. सिंघवी)
अधिशाषी अभियन्ता (वाणिज्य)
जो. वि. वि. नि. लि. ,जोधपुर